

# न्यायालय अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, बोकारो।

भू-अर्जन अपील वाद संख्या-10/2019-20

(लाल प्रसाद गोराई बनाम् NHA1 एवं अन्य)

की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
05-09-2020	<p>प्रस्तुत अपीलवाद सक्षम पदाधिकारी-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के भू-अर्जनवाद संख्या-10/2011-12, एवार्ड क्रमांक-58/3 में पारित आदेश के विरुद्ध, श्री लाल प्रसाद गोराई, पिता स्व० ज्योति लाल गोराई, ग्राम-कालापत्थर, पोस्ट-चिकिसिया, थाना-चास (मु०), जिला-बोकारो के द्वारा लाया गया है।</p> <p>उक्त वाद मौजा कालापत्थर, खाता नं०-126, प्लॉट नं०-2460/3, रकवा-0.02 एकड़ से संबंधित है।</p> <p>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि मौजा कालापत्थर, खाता नं०-20, प्लॉट नं०-2459, 2460 कुल रकवा-0.04 एकड़ भूमि के मध्ये 0.02 एकड़ भूमि निबंधित केवाला संख्या-4492, दिनांक 12.08.1994 द्वारा खरीदगी भूमि जो रैयती खाते की भूमि है। जो लाल प्रसाद गोराई, पिता स्व० ज्योतिलाल गोराई के नाम से लगान रसीद भी कटते आ रहा है। भू-अर्जन विभाग के द्वारा अर्जित किये गये भूमि का मूल्य कृषि योग्य भूमि के दर पर निर्धारित किया गया है। कुल रकवा-0.02 एकड़ भूमि का मूल्य 335446.00 (तीन लाख पैतीस हजार चार सौ छियालिस) रूपये आपत्ति के साथ रैयतों के द्वारा मुआवजा लिया गया है। जबकि वर्तमान में बाजार दर 250000.00 (दो लाख पचास हजार) रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से चल रहा है। संबंधित भूमि में आवेदक द्वारा चाहरदिवारी का निर्माण किया गया हैं एवं भूमि के बगल में पेट्रोल पम्प एवं पक्की इमारत तथा कुछ दूरी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चिकिसिया ब्रांच, डॉ० एस० राधाकृष्णन कॉलेज कैम्पस, ईडेन पब्लिक स्कूल, डॉ० एस०</p>	

प्रादेश की क्रम सं०  
और तारीख

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

राधाकृष्णन बी०एड० कॉलेज एवं आई०टी०आई० कॉलेज चिकिसिया, के०सी०एस० मिडिल स्कूल और हाई स्कूल चिकिसिया एवं चास(मु०) थाना अवस्थित है, जिससे यह स्पष्ट है कि अधिग्रहित की गई भूमि आवासीय /व्यवसायिक योग्य है, परन्तु भू-अर्जन विभाग के द्वारा आवासीय योग्य भूमि बताकर भूमि का मूल्यांकन किया गया है, जो गलत है। आवेदक के द्वारा व्यवसायिक भूमि का मूल्य निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष NHA के द्वारा अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि भूमि के मूल्यांकन के साथ-साथ भूमि की श्रेणी और आवेदक को भुगतान की गयी मुआवजा राशि उचित है, इसलिए इनके द्वारा किये जा रहे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा संबंधित वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक 2094/रा०, दिनांक 21.08.2020 के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो से संदर्भित अपीलवाद में जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो का पत्रांक 450(A)/भू०अ०, दिनांक 29.08.2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख में संधारित है। जॉच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि मौजा नावाडीह में आवेदित प्लॉट संख्या-2460/3 धारा 3A में भूमि का किस्म पुरातन पतित गजट में दर्ज है। धारा 3A के अनुरूप धारा 3G में भूमि का किस्म कृषि दर्ज किया गया है। NHA के द्वारा धारा 3A की अधियाचना में भूमि का किस्म पुरातन पतित प्रस्तुत किया गया था तथा धारा 3A में दर्ज भूमि के किस्म के अनुरूप धारा 3G तैयार करने हेतु NHA द्वारा पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। धारा 3A के प्रकाशन के बाद भूमि के किस्म में

सं०  
दिनांक


### आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सन्नि

परिवर्तन हेतु हितबद्ध रैयतों द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा ससमय प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसी कोई कागजात / साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा किये जा रहे दावे को बल मिल सके।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा कालापत्थर, खाता नं०-126, प्लॉट नं०-2460/3, रकवा-0.02 एकड भूमि कृषि योग्य भूमि है। सर्वे खतियान में भी भूमि का किस्म कृषि दर्ज है। उपरोक्त भूमि NH-32 के लिए अधिग्रहित भूमि है, जिसका मूल्यांकन जिला भू-अर्जन कार्यालय, बोकारो द्वारा नियमानुसार सही प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी भेदभाव के किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा दाखिल किये गये अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त आदेश की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो / परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद को भेजें।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
अपर समहर्ता  
-सह-  
आर्बिट्रेटर, बोकारो।

  
अपर समहर्ता  
-सह-  
आर्बिट्रेटर, बोकारो।